राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.1 (3) परि/स्था/सं.स.कर्म/2015 / 3951 जयपुर,दिनांक :– 7/3/19

आदेश

विभाग के निम्नांकित कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (च.श्रे.क., जमादार, गार्ड, गनमैन, प्रादेशिक निर्वाहक) के 22 रिक्त पदों के विरूद्ध पेंशन नियम 164–ए के प्रावधानों, कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित समेकित पारिश्रमिक एवं शर्तों के अध्यधीन सेवानिवृत कर्मचारी या सेवानिवृत कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (RExCO) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक, नियमित नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक उपलब्ध होने अथवा दिनांक 29.02.2020 तक जो भी पहले हो तक के लिए संविदा पर लिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	अनुमत पद
1.	जिला परिवहन कार्यालय, नागौर	1	1	1
2.	जिला परिवहन कार्यालय, शाहजंहापुर	7	5	2
3.	जिला परिवहन कार्यालय, झालावाड़	3	3	2
4.	जिला परिवहन कार्यालय, जैसलमेर	1	1	1
5.	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चित्तौडगढ़	5	5	3
6.	जिला परिवहन कार्यालय, किशनगढ़	2	2	1
7.	जिला परिवहन कार्यालय, फलौदी	2	2	1
8.	जिला परिवहन कार्यालय, भीनमाल (जालौर)	2	2	1
9.	जिला परिवहन कार्यालय, दूदू (जयपुर)	2	2	1
10.	जिला परिवहन कार्यालय, केकडी (अजमेर)	2	2	1
11.	जिला परिवहन कार्यालय, शाहपुरा (भीलवाडा)	2	2	1
12.	जिला परिवहन कार्यालय, नोहर (हनुमानगढ़)	2	2	1
13.	जिला परिवहन कार्यालय, रामगंजमण्डी	2	2	1
14.	जिला परिवहन कार्यालय, डूंगरपुर	2	2	1
15.	जिला परिवहन कार्यालय, बीकानेर	2	2	1
16.	जिला परिवहन कार्यालय, धौलपुर	6	5	1
17.	जिला परिवहन कार्यालय, खेतडी	2	2	1
18.	उप परिवहन कार्यालय, फतेहपुर (सीकर)	2	2	1
19.	परिवहन मुख्यालय, (सड़क सुरक्षा, प्रकोष्ठ)	3	3	3
	योग	50	47	25

उपरोक्तानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाने के लिये निम्नांकित निर्देश भी दिये जाते है :–

1. उपर्युक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सेवानिवृत कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्त करें तथा सेवानिवृत कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (RExCO) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को ही संविदा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में लगाया जाए एवं उनका सेवा क्रमांक (Army Service No., Airforce Service No., Navy Service No.) सेवा रिकॉर्ड, परिचय पत्र आदि का समुचित रिकार्ड रखा जाए।
2. राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (RExCO) से लिये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को (यथा उपलब्धता) 6 माह की अवधि से ज्यादा नहीं रखा जाए एवं हर 6 माह में परिवहन विभाग का नियत्रंक अधिकारी इनका स्थान बदले।
3. कार्यालयों हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था उपरोक्त तालिका अनुसार की जाए।
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/उपायुक्त (प्रवर्तन) का होगा तथा वे समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।

new H:/estt/manish g/ letter/ orders

5. पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियत दरों पर किया जाना सुनिश्चित करें तथा इन शर्तों का पालना करते समय यह सुनिश्चित करें कि विभाग पर किसी प्रकार का स्थायी दायित्व नहीं बने तथा राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियम तथा स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो।
6. प्रादेशिक/जिला/उप जिला परिवहन कार्यालय को आवंटित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशीर्ष 2041–00–101–(01)–[00]–41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।
7. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, मुख्यालय हेतु स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पारिश्रमिक 3055–00–800–(08)–(01) राज्य निधि मद से आहरित किया जावेगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. क्रमांक 161900197 दिनांक 15.02.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

क्रमांक :– एफ.1 (3) परि/स्था/सं.स.कर्म/2015/

जयपुर.दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, परिवहन मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को बजट आवंटन हेतु।
3. अति. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी स्वीकृत संख्या तक आवश्यकतानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपरोक्त प्रक्रियानुसार लें।
5. लेखा एवं भुगतान/स्थापना शाखा, मुख्यालय जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूम नं. 7222, फूड बिल्डींग, द्वितीय तल, शासन सचिवालय, जयपुर/पी.8, सांझी छत, सेक्टर 2, विद्याधर नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार सबंधित कार्यालयों को संविदा आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करवाने का श्रम करें (ईमेल :– rexcojaipur@gmail.com FAX NO :- 2232064)।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

new H:/estt/manish g/ letter orders